

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक : ४ मार्च, 2016

संख्या : 1/सी० -03/2012-सा०प्र०-3489/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान -रु.15,600-39,100+ग्रेड पे-7,600/-) में प्रोन्नति दी जाती है :-

| क्र | पदाधिकारी का नाम एवं बैच         | वर्तमान पदस्थापन/ सेवागत स्थिति     | प्रोन्नति की तिथि   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1   | श्री कृष्ण मोहन (99)             | दिनांक-13.02.2016 को दिवंगत ।       | 01.01.2008 अथवा भा०प्र०से० में नियुक्ति के पश्चात् भा०प्र०से० का पद ग्रहण किये जाने की तिथि, जो बाद में हो, से ।        |
| 2   | श्री सुरेश कुमार सिन्हा (99)     | दिनांक- 31.03.2015 को सेवानिवृत्त । | दिनांक -01.01.2008 अथवा भा०प्र०से० में नियुक्ति के पश्चात् भा०प्र०से० का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो । |
| 3   | श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान (2000) | दिनांक-29.02.2016 को सेवानिवृत्त ।  | दिनांक -01.01.2009 अथवा भा०प्र०से० में नियुक्ति के पश्चात् भा०प्र०से० का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो । |
| 4   | श्री रामाशीष पासवान (2000)       | दिनांक-31.05.2015 को सेवानिवृत्त ।  | दिनांक -01.01.2009 अथवा भा०प्र०से० में नियुक्ति के पश्चात् भा०प्र०से० का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो । |
| 5   | श्री चित्तरंजन सिंह (2000)       | दिनांक-31.01.2015 को सेवानिवृत्त ।  | दिनांक -01.01.2009 अथवा भा०प्र०से० में नियुक्ति के पश्चात् भा०प्र०से० का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो । |

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव ।

संख्या-1/सी०-03/2012-सा०प्र०-3489/पटना-15, दिनांक: ४ मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/

महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित सभी विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी/ अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव।